प्रेषक,

देश दीपक वर्मा
प्रमुख सचिव/महानिदेशक,
खाद्य एवं औषधि प्रशासन निदेशालय,
उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

सेवा में,

1. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी,
   उ0प्र0।
2. समस्त मण्डलीय अपर निदेशक,
   चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
   उ0प्र0।
3. समस्त नगर स्वास्थ्य अधिकारी,
   उ0प्र0।

संख्याः एफ0डी0ए0/2009/3320 लखनऊःदिनांक 29-9-2009

विषयः प्रदेश में निर्मित एवं विक्रीत खाद्य पदार्थो के अपमिश्रण के निवारण हेतु नमूना संकलन की कार्यवाही के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत ही है कि खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली 1955 के प्राविधानों के अनुसार खाद्य एवं औषधि नियंत्रण एवं नगर विकास विभाग के खाद्य निरीक्षकों/स्वच्छता निरीक्षकों द्वारा संदिग्ध खाद्य सामग्री के नमूनों का संकलन किया जाता है। संकलित नमूनों को विश्लेषण हेतु प्रदेश की विभिन्न प्रयोगशालाओं में भेजा जाता है। विभिन्न प्रयोगशालाओं में वर्तमान वर्ष के भेजे गए नमूनों की विश्लेषण रिपोर्टो के अनुसार माह जून 2009 तक खाद्य सामग्री के कुल 10261 नमूने विश्लेषित किए गए। इस अवधि में विश्लेषित नमूनों में से 1306 नमूनें अपमिश्रित पाए गए। अपमिश्रित नमूनों की संख्या मात्र 12.72 प्रतिशत होने से यह स्पष्ट होता है कि क्षेत्रीय अधिकारियों द्वारा असंदिग्ध खाद्य सामग्री के नमूने भारी संख्या में बगैर/अपर्याप्त अभिसूचना के विश्लेषण के लिए संकलित किए जाते हैं। इससे कदाचित अच्छे खाद्य व्यवसायी नमूना संकलन से हतोत्साहित होते होंगे तथा मिलावटखोरी में लिप्त व्यवसायी प्रर्वत्तन कार्यवाही से बचे रहते होंगे। अत्यधिक नमूना संकलन से प्रयोगशालाओं पर भी विश्लेषण के लिए अतिरिक्त दबाव रहता है, जिसका सीधा असर विश्लेषण की गुणवत्ता पर पड़ने की संभावना रहती है।

2. अस्तु, खाद्य सामग्री एवं दुग्ध एवं दुग्ध उत्पादों के नमूना संकलन की प्रक्रिया को प्रभावी बनाये जाने हेतु निम्नलिखित दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्यवाही की जायेः

(क). संदिग्ध निर्माण, भण्डारण एवं विक्रय इकाइयों के सम्बन्ध में तथ्यात्मक एवं ठोस अभिसूचना एकत्रित करने के पश्चात् प्रभावी छापे आयोजित कर नमूना संकलन किया जाये।

(ख). नमूनों का संकलन एक नैत्यिक कार्य के रूप में न किया जाय अपितु चुने हुए संदिग्ध प्रतिष्ठानों से नमूनें संकलित किए जायें।

(ग) संदेहास्पद खाद्य सामग्री, दूध एवं दुग्ध उत्पादों के ही नमूने संकलित किये जाये। सामान्यतः प्रथमदृष्ट्या गुणवत्तापूर्ण सामग्री के नमूने संकलित करने से बचा जाय।

(घ) नमूनों का संकलन प्रवर्त्तन कार्य की संख्या वृद्धि के लिए न करके स्वविवेक का उपयोग करते हुये चुनी हुई खाद्य सामग्री के नमूने संकलित करने पर बल दिया जाय।

(ड़) सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा अपने विवेक तथा अनुभव का प्रयोग इस प्रकार किया जाय कि संकलित नमूनों के विश्लेषण के पश्चात् न्यूनतम 50 प्रतिशत नमूने अपमिश्रित निकलने की संभावना हो।

(च) अपवादस्वरूप मामलों को छोड़कर, संकलित नमूने इस प्रकार पैक किये जाये कि नमूना अथवा उसकी पैकिंग सामग्री क्षतिग्रस्त न हो जाये, जिससे नमूनें विश्लेषण योग्य नहीं रह जाते हैं।

(छ) निर्माण इकाइयों पर निरीक्षण/छापे के समय निर्मित खाद्य सामग्री के नमूनों के संकलन को वरीयता दी जाय। सामान्यतः पूर्व निर्मित सामग्री के नमूनों का संकलन न किया जाय।

(ज) खाद्य सामग्री की निर्माण इकाइयों के समय निर्माण हेतु प्रयोग में लाये जा रहे कच्चे माल के नमूनें अवश्य संकलित किए जांय ताकि निर्माण स्तर पर ही खाद्य सामग्री की गुणवत्ता एवं मानकों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

(झ) उपर्युक्त बिन्दुओं के साथ ही खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 एवं तत्सम्बन्धी नियमावली 1955 का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए प्रभावी प्रर्वत्तन कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।

3. लक्ष्यपूर्ति हेतु नैत्यिक रूप से नमूना संकलन की कार्यवाही की बाध्यता को व्यवहारिक किये जाने हेतु पूर्व में खाद्य निरीक्षकों के लिए 60 नमूने प्रतिवर्ष संकलित किये जाने के लक्ष्य को 45 नमूने प्रतिवर्ष किया जाता है। इसका सीधा असर उपरोक्तानुसार नमूनों की गुणवत्ता पर पड़ना चाहिए, जिसे सभी सम्बन्धित सुनिश्चित करायें।

4. भविष्य में खाद्य निरीक्षकों तथा मुख्य खाद्य निरीक्षकों के कार्यो का मूल्यांकन उनके द्वारा संकलित नमूनों की संख्या के आधार पर न करके विश्लेषण के पश्चात् अपमिश्रित पाये गये नमूनों की संख्या के आधार पर किया जायेगा।

अतः आपसे अनुरोध है कि अपने अधीन कार्यरत समस्त खाद्य निरीक्षकों एवं स्वच्छता निरीक्षकों को उक्त निर्देशों का तत्काल प्रभाव से अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(देश दीपक वर्मा)
प्रमुख सचिव/महानिदेशक,

S. letter(44)